

20/08/25

पन्नावली पेरा हुई। अधिवक्ता वादीगण
मध वादीगण अनुपस्थित। अधिवक्ता वादीगण
मध वादीगण को बार-बार आवाजे दिलवाई
गई। समय साँच 5:00 PM हो चुके हैं।
स्वयं वादीगण एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित
हैं। पन्नावली के अवलोकन से प्रकरण वर्तमान
में वारिस कायमी में लम्बित हैं। वादीगण को
वारिस कायमी हेतु लगभग 4 वर्ष का समय
दिया जा चुका है परन्तु वादीगण द्वारा अब
तक वारिस कायमी नहीं करवाई गई। इससे
स्पष्ट जाहिर होता है कि वादीगण अपने
वाह के प्रति सजग नहीं हैं एवं मात्र प्रकरण
को लम्बा करना चाह रहे हैं। आज भी स्वयं
वादीगण एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे हैं।
अतः अधिवक्ता वादीगण मध वादीगण अनुपस्थित
रहने पर वादीगण का वाह अदम हाजरी अदम
पैरवी में खारिज किया जाता है। पन्नावली फैसल
शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) पन्ना